

(क) ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद को देय किसी कर, शुल्क अथवा अन्य राशि के भुगतान किए जाने की तिथि तक या तीन माह जिसके भीतर ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद को ऐसे करों, शुल्क अथवा देय राशि का भुगतान किया जाना था, भुगतान करने में असफल रहा हो;

(ख) ग्राम साधारण निकाय या ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद अथवा जिला परिषद का वेतनभोगी अथवा लाभ के पद पर हो;

ग) द्वीप परिषद के साथ अथवा अन्तर्गत अथवा की ओर से किसी अनुबन्ध अथवा रोज़गार में द्वीप परिषद द्वारा अथवा के लिए किए जा रहे किसी कार्यों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई भागीदारी अथवा धन लाभ रखता हो;

(घ) किसी सरकारी अथवा किसी नगरपालिका अथवा पंचायती राज संस्थान अथवा जनजाति परिषद का कर्मचारी हो;

(ङ) भ्रष्टाचार के लिए सरकारी अथवा नगरपालिका अथवा पंचायती राज संस्थान अथवा जनजाति परिषद की सेवा से निष्कासित हो;

(च) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 109 अथवा 110 के अन्तर्गत अच्छे आचरण के लिए सुरक्षा देने हेतु आदेश दिया हो;

(छ) हिंसा अथवा नैतिक चरित्रहीनता में शामिल होते हुए किसी अपराध के लिए अपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो और सज़ा दी गई हो जिसकी अवधि तीन माह से कम न हो और ऐसे केंद्र पर रहने के बाद उसकी रिहाई से पाँच वर्ष तक की अवधि समाप्त नहीं हुई हो;

(ज) 21 वर्ष की आयु पूरा नहीं किया हो;

(ट) यदि वह विकृत बुद्धि का है और सक्षम न्यायालय द्वारा इसकी घोषणा की गई है;

(ठ) जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा भ्रष्ट आचारण अपनाने अथवा चुनाव संबंधी अपराध करने के लिए, ऐसी अयोग्यता अवधि के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा तत्समय लागू चुनाव संबंधी किसी विधि के अन्तर्गत अयोग्य ठहराया गया हो अथवा;

(ड) खण्ड (ज) के अधीन रहते हुए लोक सभा के चुनाव के प्रयोजन हेतु तत्समय लागू किसी विधि के द्वारा अथवा अन्तर्गत अयोग्य ठहराया गया हो;

अयोग्य ठहराने के बारे में उठे प्रश्न पर निर्णय 57. धारा 4, धारा 7 या धारा 56 में संदर्भित किसी अयोग्य ठहराए गए व्यक्ति के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो इसके निर्णय के लिए उपायुक्त को भेजा जाएगा। वह संबंधित व्यक्ति को पर्याप्त अवसर देकर उसे सुनने के बाद अपना निर्णय अलिखित करेगा।

बशर्ते कि किसी प्रश्न पर निर्णय देने से पूर्ण उपायुक्त को चुनाव आयुक्त का राय लेना होगा और उसी के अनुसार कार्य करना होगा।

वाइस चीफ कैप्टन का चुनाव 58. (1) इस विनियम के अन्तर्गत पहली बार द्वीप परिषद का गठन करने अथवा द्वीप परिषद के कार्यकाल की समाप्ति अथवा इसके पुनर्गठन पर उपायुक्त, सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में द्वीप परिषद के सदस्यों में से वाइस चीफ कैप्टन के चुनाव के लिए एक बैठक आयोजित करने को कहेगा।

(2) चुनाव, संबंधित सहायक आयुक्त की प्रत्यक्ष निगरानी में कराई जाएगी।

(3) बैठक की अध्यक्षता चीफ कैप्टन करेगे जिसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) उस बैठक में वाइस चीफ कैप्टन के चुनाव के अलावा कोई अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी।